संसं0–7/जन स्वा0–8–01/2018– 73(7)ब

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना
क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना
संबंधित सिविल सर्जन, (सूची संलग्ण)।

पटना, दिनांक : 28-12-18

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–003 प्रशिक्षण–0002 जन स्वास्थ्य संस्थापन विपत्र कोड–20-2210060030002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–2019 में वेतन भत्ते तथा अन्य मदों में कुल ₹ 1,07,80,470/– (एक करोड़ सात लाख अस्सी हजार चार सौ सत्तर रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या–13(7)ब दिनांक–12.06.18 एवं 39(7)ब दिनांक–01.10.18 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018–2019 में वेतन भत्ते तथा अन्य मदों में कुल ₹ 1,07,80,470/– (एक करोड़ सात लाख अस्सी हजार चार सौ सत्तर रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक–2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक–04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–003 प्रशिक्षण–0002 जन स्वास्थ्य संस्थापन विपत्र कोड 20-2210060030002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–2019 में आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से की जायेगी ।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना/ अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगें ।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र वेतन विपत्र पर भी अंकित करेंगे ।

6. सिविल सर्जन अपने स्तर से अधीनस्थ संस्थानों को कार्यरत बल के आधार पर वेतन /भत्ता भुगतान तथा अन्य मद के लिए नियमित व्यय हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उप आवंटन एक मुश्त में करेंगे। उप आवंटन की एक प्रति विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

7. सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी । इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी ।

8. इस आवंटन से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात् ही स्वंय अपने वेतन की निकासी करेंगे ।

9. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीध्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे ।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशाक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

10. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक– 96(9) दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक–15.3.2001, 241(9) दिनांक–21.5.2002 एवं 379(9) दिनांक–16.8.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.01.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा ।

12. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

13. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर)

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 73 (7)8 पटना, दिनांक : 28-12-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/सम्बंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सम्बंधित जिला पदाधिकारी/सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी/सम्बंधित उपकोषागार पदाधिकारी/सम्बन्धित क्षेत्रीय उप निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी–7/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर)

सरकार के विशेष सचिव

D:\Bud 2018-19 Allot\kamal\Jan-Swasth 2.doc

विवरणी–I

वित्तीय वर्ष 2018–19 में जन स्वास्थ्य संस्थापन विपत्र कोड संख्या–20–2210060030002

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	परिवहन भत्ता (01–05)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	कार्यालय व्यय (13–01)	विधि प्रभार (13–05)	वर्दी/ पोषाक (13–06)	कुल	अभ्युक्ति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
1	क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना	300000	33000	60000	20000	15000	18000	446000	27754	0	0	0	473754	1010/25.10.18
2	सिविल सर्जन, पटना	1000000	110000	200000	80000	50000	60000	1500000	0	2000	5000	1000	1508000	8349/3.12.18
3	सिविल सर्जन, गया	600000	66000	120000	0	30000	0	816000	0	0	0	0	816000	3364/29.10.18
4	सिविल सर्जन, मधुबनी	500000	55000	100000	0	25000	30000	710000	115716	0	0	0	825716	2726/5.11.18 2829/24.11.18
5	सिविल सर्जन, दरभंगा	600000	72000	120000	0	30000	36000	858000	0	0	0	0	858000	2017/22.10.18
6	सिविल सर्जन, जहानाबाद	300000	36000	60000	0	15000	18000	429000	0	2000	0	5000	436000	253/25.10.18
7	सिविल सर्जन, मोतिहारी	600000	72000	120000	0	30000	36000	858000	0	0	0	0	858000	432/30.11.18
8	सिविल सर्जन, औरंगाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	2000	7000	282/25.10.18
	कुल योगः–	**3900000**	**444000**	**780000**	**100000**	**195000**	**198000**	**5617000**	**143470**	**9000**	**5000**	**8000**	**5782470**	

(संतावन लाख बेरासी हजार चार सौ सत्तर) रू0 मात्र

73(7)ब

28-12-18

सरकार के विशेष सचिव

D:\Bud 2018-19 Allot\kamal\Jan Swsth 2Viv I-II

विवरणी–II

क्रमांक	प्राथमिक इकाई	लोक स्वा0 संस्थान, पटना	क्षेत्र प्रदर्शन केन्द्र राजगीर	कुल
1	वेतन (0002–01–01)	0	3300000	3300000
2	जीवन यापन भत्ता (0002–01–03)	0	330000	330000
3	मकान किराया भत्ता (0002–01–04)	0	825000	825000
4	परिवहन भत्ता (0002–01–05)	0	0	0
5	चिकित्सा भत्ता (0002–01–06)	0	132000	132000
6	अन्य भत्ता (0002–01–07)	0	165000	165000
	योग वेतन एवं भत्ते:–	0	**4752000**	**4752000**
7	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0002–13–02)	100000	0	100000
8	दूरभाष (0002–13–03)	6000	0	6000
9	विद्युत प्रभार (0002–13–04)	140000	0	140000
	कुल योग:–	**246000**	**4752000**	**4998000**

(उनचास लाख अंठान्वे हजार रूपये मात्र)

सरकार के विशेष सचिव

व्यय का सारांश:–

विवरणी – III

क्रमांक	कोड एवं संस्थान का नाम	विवरणी I	विवरणी II	कुल
1	वेतन (0002–01–01)	3900000	3300000	7200000
2	जीवन यापन भत्ता (0002–01–03)	444000	330000	774000
3	मकान किराया भत्ता (0002–01–04)	780000	825000	1605000
4	परिवहन भत्ता (0002–01–05)	100000	0	100000
5	चिकित्सा भत्ता (0002–01–06)	195000	132000	327000
6	अन्य भत्ता (0002–01–07)	198000	165000	363000
	योग वेतन एवं भत्ते:–	**5617000**	**4752000**	**10369000**
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0002–06–01)	143470	0	143470
8	कार्यालय व्यय (0002–13–01)	9000	0	9000
9	वाहन का इंधन एवं रख रखाव	0	100000	100000
10	दूरभाष (0002–13–03)	0	6000	6000
11	विद्युत प्रभार (0002–13–04)	0	140000	140000
12	विधि प्रभार (0002–13–05)	5000	0	5000
13	वर्दी/ पोषाक (0002–13–06)	8000	0	8000
	कुल योग:–	**5782470**	**4998000**	**10780470**

(एक करोड़ सात लाख अस्सी हजार चार सौ सत्तर रूपये मात्र)

73(7) व

28-12-18

सरकार के विशेष सचिव

D:\Bud 2018-19 Allot\kamal\Jan Swsth 2Viv IV

विवरणी –IV

उपबंध की स्थिति

क्रम	प्राथमिक इकाईयां	कुल उपबंधित राशि	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	वेतन (0002–01–01)	108000000	89083000	7200000	96283000	11717000
2	जीवन यापन भत्ता (0002–01–03)	12000000	9415130	774000	10189130	1810870
3	मकान किराया भत्ता (0002–01–04)	22920000	19527000	1605000	21132000	1788000
4	परिवहन भत्ता (0002–01–05)	2165000	1159000	100000	1259000	906000
5	चिकित्सा भत्ता (0002–01–06)	5412000	4070150	327000	4397150	1014850
6	अन्य भत्ता (0002–01–07)	7160000	4961392	363000	5324392	1835608
	योग 20-2210.06.003.0002.01 वेतन	**157657000**	**128215672**	**10369000**	**138584672**	**19072328**
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0002–06–01)	1000000	0	143470	143470	856530
8	यात्रा व्यय (0002–11–01)	280000	120000	0	120000	160000
9	कार्यालय व्यय (0002–13–01)	500000	288000	9000	297000	203000
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0002–13–02)	580000	100000	100000	200000	380000
11	दूरभाष (0002–13–03)	12000	6000	6000	12000	0
12	विद्युत प्रभार (0002–13–04)	1000000	860000	140000	1000000	0
13	विधि प्रभार (0002–13–05)	1000000	215000	5000	220000	780000
14	वर्दी / पोषाक (0002–13–06)	100000	73000	8000	81000	19000
15	किराया महसूल एवं कर (0002–14–01)	108000	108000	0	108000	0
16	प्रशिक्षण व्यय (0002–20–03)	2500000	0	0	0	2500000
17	सामग्री एवं पूर्तियॉं (0002–21–01)	500000	200000	0	200000	300000
18	दवा भंडार (0002–21–02)	600000	0	0	0	600000
19	छात्रवृत्ति / वजीफा (0002–34–01)	26000	13000	0	13000	13000
20	मशीने एवं उपस्कर (0002–52–01)	500000	170000	0	170000	330000
	कुल योगः–	**166363000**	**130368672**	**10780470**	**141149142**	**25213858**

73(7)5
28-12-18

सरकार के विशेष सचिव